न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

दिनांक:30.08.2017

मि.न. 165/17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैरसायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का. पनियाला ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सवंत 2074में वाके ग्राम.कालूहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख.न0 147रकबा 2.82 है0किस्म जमीन. बारानी–3 मेंसे 1.41है0 पर श्री लालचन्द ,अशोक पुत्रान बहादुर व खुशीराम जाति गुजर्र निवासी कालूहेडा ने बाजरा कास्त व मकान बना कर अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलान को विधीवत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 91(3) के अन्तगर्त नोटिस दिये गये।नोटिस बाद तामिल बाद संलग्न पत्रावली कीये गए । सूचना उपरांत गैर सायल लालचन्द उपस्थित आया । कोई जवाब,पेश नहीं किया तथा नाही कोई साक्ष्य,सबूत,दस्तावेज पेश किय व गैरसायलान अशोक पुत्र बहादुर तथा खुशीराम पुत्र हेमराज जाति गुजर्र निवासी कालूहेडा तहसील कोटपूतली सूचना के उपरान्त उपस्थित नहीं आये ।अतः उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गोर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायलान श्री लालचन्द ,अशोक पुत्रान बहादुर ,खुशीराम पुत्र हेमराज जाति गुजर्र निवासी कालूहेडा द्वारा वाके ग्राम. कालूहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख.न0 147रकबा 2.82 है0किस्म जमीन बारानी–3मेंसे 1.41 पर बाजरा कास्त व मकान अवैध अतिक्रमर्ण की श्रेणी में आता है अतिक्रमीयों को उक्त आराजियत से बेदखल किया जाना उचित प्रतित होता है

अत श्री लालचन्द ,अशोक पुत्रान बहादुर व खुशीराम पुत्र हेमराज जाति गुजर्र निवासी कालूहेडा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम.कालूहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख.न0 147रकबा 2.82 है0किस्म जमीन. बारानी–3 मेंसे 1.41है0 पर अतिक्रमी घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर कास्तशुदा बाजरा की फसल को कब्जे राज व मकान को ध्वस्त कर अवैध विद्युत कनेक्शन को विद्युत कनेक्शन विच्छैद करवाया जाकर अतिक्रमीयों को उक्त आराजियात से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

[illegible] रूप से अतिकमण करने के आरोप मे [illegible]
[illegible] के रूप मे जुर्माना किया जाता है ।

[illegible] बेदखली व फसल निलामी भू. अ. नि. व पटवारी हल्का को लिखा जावे व अवैध विद्युत कनेक्शन विच्छैद के लिए सहायक अभियन्ता ज0 वि0 वि0 नि0 लि0 कोटपूतली को लिखा जावे। मांगकायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे। निर्णय अनुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

हुक्म आज दिनांक30.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

SEAL